रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 89] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 1998/फाल्गुन 28, 1919

No. 89] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 1998/PHALGUNA 28, 1919

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1998

सा.का.नि. 139(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थान शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें) नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें) नियम, 1993 में —

(क) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3, वेतन :— किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को तारीख 1-1-1996 से 18400—500—22400 रुपए के वेतनमान में वेतन का संदाय किया जाएगा;

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की दशा में, जो जिला न्यायधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन उपदान, अभिदायी भविष्य-निधि में नियोजक के अभिदान के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फायदे या अन्य रूप के सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, ऐसे पीठासीन अधिकारी के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य-निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप के सेवा निवृत्ति फायदे, यदि कोई हों, की कुल रकम घटा दी जाएगी।"

(ख) नियम 4 में, "5900—200—6700 रुपए" अंको और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— "18400—500—22400 रुपए"।

(ग) नियम 5, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और यातायात भत्ता : किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी दर से महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और यातायात भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जो समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

[फा. सं. 6/13/97-डी.आर.टी.]

डी.आर.एस. चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— यह संशोधन पाँचवें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप है जो 1 जनवरी, 1996 से लागू है और इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मूल नियम सा.का.नि. 62(अ) तारीख 4 फरवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19 March, 1998

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by section 13, read with clause (a) of sub-section (2) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debt Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 1993,—

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Salary—The Presiding Officer of a Tribunal shall be paid a salary in the scale of of pay of Rs. 18400—500—22400 with effect from 01-01-1996.

Provided that in the case of an appointment of a person as a Presiding Officer, who has retired as a District Judge, or who has retired form service, under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the gross amount of pension or employees contribution to the Contribution Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him."

(b) in rule 4, the letters and figures "Rs. 5900-200-6700" the following shall be substituted, namely:—"Rs. 18400-500-22400".

(c) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. Dearness allowance, city compensatory allowance and transport allowance.—The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to draw dearness allowance, city compensatory allowance and transport allowance at the rate applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay."

[F.No. 6/13/97-DRT]

D.R.S. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Note:—The amendment is consequent upon the 5th Pay Commission Report which is applicable with effect from 1st January, 1966 and nobody's interest will be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

The principal rules were published vide G.S.R. 62(E) dated 4th February, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998